



# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/84/21

Date : 4.5.2021

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक  
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :- 18 से 45 वर्ष के बीच के कर्मचारियों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों का भी रेलवे अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 18 से 45 वर्ष के बीच के सभी लोगो का वैक्सीनेशन करने का आदेश जारी किया गया है।

इस सम्बन्ध में NCRES को अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रेल कर्मचारियों के बड़ी संख्या में संक्रमित होने के कारण सुचारु रेल संचालन में भी कठिनाई आ रही है। ऐसे में न केवल रेल कर्मचारी अपितु उनके परिवार के सदस्यों का भी सुरक्षित रहना अति आवश्यक हो गया है।

अतः NCRES की मांग है कि 18 से 45 वर्ष के रेल कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों (18 से 45 वर्ष) को भी प्राथमिकता के आधार पर त्वरित वैक्सीनेशन हेतु उचित आदेश जारी करने का कष्ट करें।

*(आर. पी. सिंह)*  
महामंत्री